

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

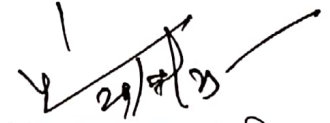
—: आवश्यक सूचना :—

विगत कुछ बैठकों में भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर परिचालन हेतु कुछ वाहनों के परमिट आवेदन की स्वीकृति प्रदान की गयी है परन्तु कतिपय मामलों में भागलपुर रेलवे स्टेशन से भागलपुर जीरोमाईल के बीच उक्त वाहनों द्वारा गति सीमा उल्लंघन संबंधी परिवाद प्राप्त हुए हैं। परिवाद की जाँच प्रक्रियाधीन है। ऐसी परिस्थिति में सम्यक् विचारोपरांत प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में निम्न शर्त के साथ परमिट निर्गत करने का निर्णय लिया गया है:—

“ निर्गत परमिट जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा और जो वाहन गति सीमा उल्लंघन के दोषी पाये जायेंगे उनका परमिट रद्द कर दिया जायेगा।”

अतएव जो वाहन स्वामी परमिट का उठाव करना चाहते हों तो वह उपरोक्त शर्त के आशय का शपथ पत्र कार्यालय में समर्पित कर परमिट का उठाव कर सकते हैं।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष के आदेश से



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।